उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-69/2019/910/92-2-19-76जॉच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 29 अप्रैल 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद बुलंदशहर में डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजनान्तर्गत संशोधित कार्य योजना के अनुसार 03 परिवर्तित ग्रामों की स्वीकृत धनराशि पंचायती राज विभाग से बिना प्राप्त किये प्राक्कलन स्वीकृत करने एवं अनुबंध गठित करने हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-45/2018/648/92-2-18-76जांच/2017 दिनांक 19-03-2018 द्वारा श्री जब्बार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति प्रखण्ड/पीआईयू0-मेरठ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-777/ग्रा0अ0वि0/आ0लि0/अनु0जां0-47/18-19 दि0 15-11-2018 द्वारा उपलबध करायी गयी जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-2956/92-2-18-76जांच/2017 दि0 04-12-2018 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत जांच अधिकारी की जांच आख्या दि0 15-11-2018 की प्रति अपचारी अधिकारी श्री जब्बार हुसैन को प्रेषित करते हुये उक्त जांच आख्या में सिद्ध पाये गये आरोप के संबंध में अभ्यावेदन मांगा गया, जो कि उनके पत्र सं0-3450/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/ अनु0 का0/18-19 दि0 08-02-2019 द्वारा शासन को उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु जिलाधिकारी बुलंदशहर के स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने, तत्समय निर्माण कार्य हेतु कोई भी भुगतान न किये जाने के फलस्वरूप किसी प्रकार की शासकीय क्षति न पाये जाने एवं वर्तमान में कार्य का अंतिम भुगतान करते हुये कार्य का अंतिमीकरण किये जाने के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी, श्री जब्बार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति प्रखण्ड/पीआईयू-मेरठ सहायक अभियंता, प्रखण्ड लखनऊ के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19-03-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-69/2019/910/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री जब्बार हुसैन, तत्का0 अधि0अभि0,ग्रा0अभि0विभाग,प्रखण्ड-बुलंदशहर सम्प्रति-प्रखण्ड /पीआईयू-मेरठ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।